

**कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ।**

पत्रांक-बेसिक/मान्यता/ 6057 /2025-26 दिनांक: 24 अक्टूबर, 2025

**प्रमाण पत्र**

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ के पत्रांक-बेसिक/मान्यता/अंग्रेजी मा0/3559/2018-19 दिनांक 03.08.2018 द्वारा अथर्व एकादमी (Atharva Academy) विजयन्त खण्ड-1, गोमती नगर लखनऊ को शिक्षा सत्र 2018-19 से तीन वर्ष की अवधि के लिये प्री प्राइमरी से उच्च प्राथमिक स्तर (नर्सरी से कक्षा 08 तक) के लिये अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान की संसूचना दी गयी है।

शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 तथा शासनादेश संख्या-418/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 द्वारा अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें निर्धारित की गयी हैं।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-13 में मान्यता दिये जाने हेतु निम्नवत् प्राविधान है-

“प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों में उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है।

अतः शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274-371/2025-26 दिनांक 10.10.2025 के अनुपालन में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) षष्ठ मण्डल लखनऊ के पत्रांक-प्रबन्ध/5176/2025-26 दिनांक 16.10.2025 एवं अनुमोदनोपरान्त अथर्व एकादमी (Atharva Academy) विजयन्त खण्ड-1, गोमती नगर लखनऊ को स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

(राम प्रवेश)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
लखनऊ

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उक्तवत्।

उर्पयुक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
4. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), षष्ठ मण्डल लखनऊ।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी लखनऊ।
7. प्रबन्धक अथर्व एकादमी, (Atharva Academy) विजयन्त खण्ड-1, गोमती नगर लखनऊ।
8. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
लखनऊ

  
**PRINCIPAL  
ATHARVA ACADEMY  
VIJAYANT KHAND-I  
GOMTI NAGAR, LUCKNOW**

  
**प्रबन्धक  
अथर्व अकादमी  
विजयन्त खण्ड, गोमती नगर  
लखनऊ**

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
लखनऊ

सेवा में,

प्रबन्धक  
अर्थव अकैडमी,  
विजयन्त खण्ड-1, गोमती नगर,  
लखनऊ

पत्रांक-बेसिक/मान्यता/अंग्रेजी मा0/ 3559

/2018-19 दिनांक 30.01.19

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण की प्रति एवं मण्डलीय मान्यता समिति के निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2018-19 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री प्राइमरी से उच्च प्राथमिक स्तर (नर्सरी से कक्षा 08 तक) के लिए अंग्रेजी माध्यम की अन्ततम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबन्धन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-  
(1) प्रवेश दिये गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।  
(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अधीन नहीं किया जाएगा।  
(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने पर किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।  
(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसूचित प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।  
(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान जाना।  
(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।  
(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और,  
(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

  
PRINCIPAL  
ATHARVA ACADEMY  
VIJAYANT KHAND-I  
GOMTI NAGAR, LUCKNOW

प्रबन्धक  
अर्थव अकैडमी  
विजयन्त खण्ड, गोमती नगर  
लखनऊ

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।  
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल— 4636.00 वर्ग मीटर  
कुल निर्मित क्षेत्रफल— 1721.07 वर्ग मीटर  
क्रीडास्थल का क्षेत्रफल— —  
कक्षाओं की संख्या— 12  
प्रधानाध्यापक—सहकार्यालय—सहभण्डार के लिए कक्ष— उपलब्ध है।  
बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय— उपलब्ध है।  
पेयजल सुविधा—उपलब्ध है।  
मिड—डे—मील पकाने के लिए रसोई— —  
बाधारहित पहुँच—उपलब्ध है।  
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता—उपलब्ध है।
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक—500 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. शासनादेश दिनांक 08.05.2013 में दिए गये समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(डा० अमर कान्त सिंह)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
लखनऊ

पू०सं० एवं दिनांक—उक्तवत्

- प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
  2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ
  3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ, इलाहाबाद।
  4. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
  5. जिला समाज/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, लखनऊ
  6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
  7. कार्यालय गार्ड फाइल।

  
PRINCIPAL  
ATHARVA ACADEMY  
VIJAYANT KHAND-I  
GOMTI NAGAR, LUCKNOW

  
प्रबन्धक  
अथर्व अकैडमी  
विजयन्त खण्ड, गोमती नगर  
लखनऊ

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
लखनऊ